# अनुदान संख्या 90 – इस्पात मंत्रालय
# GRANT No. 90–MINISTRY OF STEEL

| | | | कुल अनुदान Total grant | वास्तविक व्यय Actual expenditure | बचत- Saving– |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (हजार रुपयों में) (In thousands of rupees) |
| **राजस्व:** | **Revenue:** | | | | |
| स्वीकृत- | Voted– | | | | |
| मूल | Original | 85,50,00 | 89,77,00 | 81,04,24 | –8,72,76 |
| पूरक | Supplementary | 4,27,00 | | | |
| वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि | Amount surrendered during the year | | | | 8,52,30 |
| **पूंजीगत:** | **Capital:** | | | | |
| स्वीकृत- | Voted– | | | | |
| मूल | Original | 65,00,00 | 70,00,00 | 70,00,00 | . . |
| पूरक | Supplementary | 5,00,00 | | | |
| वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि | Amount surrendered during the year | | | | शून्य Nil |

*टीका और टिप्पणियां*

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (872.76 लाख रु.) नवंबर, 2007 में प्राप्त किए गए 427.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 10 प्रतिशत थीं।

बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई:-

***Notes and comments***

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.872.76 lakhs) exceeded the supplementary grant of Rs.427.00 lakhs obtained in November, 2007 and constituted 10 percent of the total sanctioned provision.

Saving occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

| शीर्ष | Head | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| मुख्य शीर्ष ''2852'' | Major Head "2852" | | | | |
| उद्योग | Industries | | | | |
| मू. | O. | 7388.00 | 7010.70 | 7001.27 | –9.43 |
| पू. | S. | 427.00 | | | |
| पु. | R. | –804.30 | | | |

(I) 100.00 लाख रु. का प्रावधान एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs.100.00 lakhs remained wholly unutilised under one head.

(II) ''लौह तथा इस्पात उद्योग - विनिर्माण - स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम को लागू करने के लिए बैंकों से लिए गए कर्जों पर ब्याज की अदायगी के लिए हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड को आर्थिक सहायता'' के अंतर्गत 591.52 लाख रु. बचत (5602.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के कर्जों की उगाही न किए जाने की वजह से ब्याज सहायता का उपयोग न किए जाने के कारण हुई।

(II) Under "Iron and Steel Industries – Manufacture - Subsidy to Hindustan Steelworks Construction Limited for payment of Interest on loans raised from banks for implementation of Voluntary Retirement Scheme" – saving of Rs.591.52 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5602.00 lakhs) was due to non-utilisation of interest subsidy owing to non-raising of Voluntary Retirement Scheme loans.

2. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचत/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई/हुआ:-

2. In the capital section of the grant, saving/ excess occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

| शीर्ष | Head | | कुल अनुदान Total grant | वास्तविक व्यय Actual expenditure | बचत- Saving– |
|---|---|---|---|---|---|
| मुख्य शीर्ष ''4852'' लौह तथा इस्पात उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय | Major Head "4852" Capital Outlay on Iron and Steel Industries | | | | |
| मू. | O. | 6300.00 | | | |
| पू. | S. | 500.00 | 7000.00 | 7000.00 | . . |
| पु. | R. | 200.00 | | | |

(I) 200.00 लाख रु. का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs.200.00 lakhs remained wholly unutilised under two heads.

3. उपर्युक्त बचतें (200.00 लाख रु.) पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए प्रयुक्त हो गईं जैसा कि ''विनिर्माण - सार्वजनिक क्षेत्रा के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश - भारत रिफ्रैक्टरीज लिमिटेड'' के अंतर्गत मार्च, 2008 में 500.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

3. The above savings were (Rs.200.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of Rs.500.00 lakhs in March, 2008 under "Manufacture - Investments in Public Sector and Other Undertakings - Bharat Refractories Limited".